न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी

पीठासीन अधिकारी गोपाल परिहार आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं0 09/2019

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
श्रीमती आसुड़ी पुत्री स्व.श्री सुखराम,पत्नी श्री बंशीलाल, जाति विश्नोई निवासी ग्राम पीथावास तहसील व जिला जोधपुर		1. श्रीमती रूकमा देवी पत्नी सुखराम जाति विश्नोई निवासी खेजड़ली कलां 2. ग्राम पंचायत खेजड़ली कलां जरिये सरपंच ग्राम पंचायत खेजड़ली कलां 3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 218 दिनांक 19.03.1978, ग्राम खेजड़ली कलां जो ग्राम पंचायत खेजड़ली कलां द्वारा पारित किया गया।

उपस्थितः– श्री ओमप्रकाश, भागीरथ बिश्नोई एडवोकेट वास्ते अपीलाण्ट श्री बाबुलाल, एडवोकेट वास्ते रेस्पपोडेन्ट संख्या–1

निर्णय दिनांकः–05.02.2020

यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 218 दिनांक 19.03.1978, ग्राम खेजड़ली कलां जो ग्राम पंचायत खेजड़ली कलां द्वारा पारित किया गया के प्रस्तुत की गई। इस संबंध में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 सुखराम पुत्र मीराराम के उत्तराधिकारी हैं तथा सुखराम का देहान्त वर्ष 1977 में हो गया था। स्व. सुखराम के संयुक्त खातेदारी की जमीन तहसील लूणी, जिला के जोधपुर के ग्राम खेजड़ली कलां के खसरा नं. 190 रकबा 28.13 बीघा आई हुई है, जिसमें स्व. सुखराम का 1/3 हिस्सा खातेदारी व कब्जे काश्त में था, सुखराम के देहान्त के बाद उनके उपरोक्त उत्ताराधिकारियों को प्राप्त हुई। विरासत नामान्तरकरण संख्या 218 में सुखराम की लड़की आसुडी का नाम राजस्व कर्मचारियों की गलती से दर्ज नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने स्व. सुखराम के विधिक वारिसान् की ओर से बगैर जांच किये अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया हैं इससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या–1 की ओर से श्री बाबूलाल ने वकालातनामा प्रस्तुत किया एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 बावजूद इत्तला तामिल के अनुपस्थित रहे। प्रकरण से सम्बन्धित मूल नामान्तरकरण संख्या 218 ग्राम खेज़ड़ली कलां, तहसील लूणी से प्राप्त किय गया। प्रकरण में उभय पक्ष अभिभाषक की बहस सुनी गई।

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी (जोधपुर) राज.

Scanned by CamScanner

अपीलार्थीय के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस शुरू करते हुए अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम खेजड़ली कलां के खसरा संख्या 190 रकबा 29.13 बीघा संयुक्त खातेदारी में सुखराम के फौत होने पर उनके जायन्दा पुत्री आसुडी के नाम नामान्तरकरण में दर्ज न कर वारिस में केवल पत्नी श्रीमती रूकमादेवी के नाम से नामान्तरकरण संख्या 218 स्वीकृत किया गया। उक्त अपीलाधीन आदेश नामान्तरकरण आदेश बिना जांच कर स्वीकृत किया गया है, जो शुन्य तथा निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलार्थीय के अभिभाषक ने अपनी बहस में यह भी कथन किया कि मृतक खातेदार स्व. सुखराम के वारिसान् की कोई जांच नहीं की गई तथा अपीलार्थीया को सुनवाई व सूचना का कोई अवसर नहीं दिया तथा बिना जांच के ही नामान्तरकरण प्रत्यर्थी संख्या 1 के नाम से दर्ज कर दिया तथा अपीलार्थीनी मृतक खातेदार स्व.सुखराम की जायन्दा पुत्री होने से प्रथम श्रेणी की वारिस है तथा अपने पिता के देहान्त के बाद उनके खातेदारी भूमि का नामान्तरकरण दर्ज करवाने की अधिकारिणी है, अपीलाधीन नामान्तरकरण दर्ज करने से पूर्व राजस्व कर्मचारियों का यह कर्तव्य था कि सुखराम के समस्त वारिसों की जांच कर उनके नाम से नामान्तरकरण दर्ज करना था, परन्तु राजस्व कर्मचारियों ने अपने कर्त्तव्यों का पालन नही किया तथा बिना जांच के केवल मात्र प्रत्यर्थी संख्या–1 के नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया गया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से नामान्तरकरण आदेश शुन्य हैं तथा नामान्तरकरण के स्वीकृति के समय अपीलार्थीनी नाबालिग होने के कारण इसकी कोई जानकारी अपीलार्थीनी को नही हुई। अपीलाधीन नामान्तरकरण कानून विरूद्ध होने से शुन्य है, जिसके विरूद्ध जानकारी से अपील अन्दर म्याद पेश है।

अपीलार्थीय के अभिभाषण ने अपनी बहस में यह भी कथन किया कि अपीलान्ट उनके पिता की संयुक्त खातेदारी भूमि पर पिता के देहान्त के बाद मृतक स्व. सुखराम की भूमि में अपने नाम नामान्तरकरण दर्ज कराने के काननी अधिकारी है, इसके सम्बन्ध में श्रीमती आसुडी का सहोदर भाई हरीराम पुत्र मांगीलाल ने सशपथ–पत्र पेश कर कहा कि सुखाराम की एकमात्र सन्तान पुत्री श्रीमती आसुड़ी हुई। तद्उपरान्त श्री सुखराम के स्वर्गवास के पश्चात् मेरी माताजी श्रीमती रूकमादेवी ने मेरे पिता मांगीलाल पुत्र मीराराम से दूसरा नाता विवाह कर लिया, इसके पश्चात् बहैसियत पुत्री आसुडी अपना नाम श्रीमती रूकमादेवी के साथ राजस्व रेकर्ड में फौतेदगी नामान्तरकरण दर्ज करवाने की वैधानिक अधिकारिणी है। इसके साथ राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड सरकारी दस्तावेज व ग्राम पंचायत खेजड़ली कलां ने भी अपने लेटरपेड में आसुडी पुत्री सुखराम निवासी ग्राम पंचायत खेजड़ली कलां, तहसील लूणी का होना माना हैं। रेस्पोडेन्ट संख्या–1 के विद्वान अभिभाषक श्री बाबूलाल विश्नोई ने अपनी जवाब व बहस में कथन किया कि आसुडी स्वयं सुख्राम की जायन्दा सन्तान नहीं होने के कारण अपना नाम राजस्व रेकर्ड में नाम दर्ज कराने की अधिकारी नहीं तथा एकमात्र उत्तराधिकारी श्रीमती रूकमा होने से उनके नाम नामान्तरकरण संख्या 218 सही व सत्य भरा गया हैं। ग्राम पंचायत खेजड़ली कलां ने कोई गलती नहीं की।

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी (जोधपुर) राज.

Scanned by CamScanner

हमनें पत्रावली का विस्तृत अवलोकन तथा प्रस्तुत बहस पर भी मनन किया। अपीलार्थीनी द्वारा प्रस्तुत अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम का न्यायहित में स्वीकार किया जाकर अपील अपीलाण्ट अन्दर म्याद मानी जाती हैं।

इस प्रकरण में यह तथ्यात्मक स्थिति है कि मृतक सुखराम पुत्र मीराराम का स्वर्गवास होने के पश्चात् उनके संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि पर हक उनके प्रथम श्रेणी के वारिसान् का होता है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत अपीलार्थीनी मृतक सुखराम के प्रथम श्रेणी की वारिसान् है। इनके समर्थन में अपीलार्थीनी ने अपना भामाशाह कार्ड, राशन कार्ड अपने सहोदर भाई हरिराम का शपथ–पत्र व ग्राम पंचायत खेजड़ली कलां का प्रमाण पत्र पेश किया हैं, जिसका खण्डन रेस्पोडेन्ट संख्या–1 ने किसी भी दस्तावेज से नही किया है। इसलिये अपीलार्थीनी का नाम अपीलाधीन नामान्तरकरण में होना चाहिये। अपीलार्थीनी उत्तराधिकारी को बिना सुने, बिना जांच किये नामान्तरकरण पारित किया गया है, ऐसा आदेश शुन्य है। ऐसा आदेश किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है एवं मियाद का प्रश्न आड़े नही आता है।

आदेश

चूंकि उक्त प्रकरण में प्रार्थीया के पिता की मृत्यु के बाद माता रूकमादेवी ने दूसरा विवाह (नाता) कर लिया था तथा अपने बयानों में माता रूकमादेवी ने सुखराम के लाऔलाद फौत होने का उल्लेख किया हैं। नामान्तरण संख्या 218 ग्राम खेजड़ली कलां जो कि दिनांक 19.03.1978 को ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत किया गया कि पुश्तपर या नामान्तरण स्वीकृति आदेश में फौत खातेदार सुखराम के उत्ताधिकारियो का न तो कोई स्पष्ट शजरा (वंशावली) होना पाया गया न ही सुखराम के प्रार्थीया सहित अन्य उत्ताधिकारियो का कोई उल्लेख पाया गया।

अतः नामान्तारकरण संख्या 218 दिनांक 19.03.1978 को स्वीकृत करते समय ग्राम पंचायत ने कोई त्रुटि नहीं की हैं। ऐसी स्थिति में नामान्ताकरण संख्या 218 में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है तथा अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम 1956 के विरूद्ध नामान्ताकरण संख्या 218 ग्राम खेजड़ली कलां ग्राम पंचायत खेजड़ली कलां खारीज की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल परिहार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी लूणी

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

Scanned by CamScanner